संख्या-4/2024/आई/523024 /2024/85-1002(002)/2/2022

प्रेषक,

अनीता वर्मा सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेवल एजेन्सी,
भूमित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक-18 मार्च, 2024

विषय:- केन्द्रपोषित वाटरशेड डवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0(WDC-PMKSY) (के.60/रा.40) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी, परती भूमि विकास विभाग के पत्र संख्या-433/एस0एल0एन0ए0/लेखा/2023-24, दि०-11-03-2024 के द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष-2023-24 में सामान्य अनुदान में रू0 8.13 करोड एवं अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना में रू0 3.48 करोड कुल रू0 11.61 करोड के अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या-12 में रू0-13.55 करोड (के.- 8.13 एवं रा.-5.42 करोड) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार उक्त अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या-83 में चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 में रू0 5.80 करोड लाख (के.-3.48 एवं रा.-2.32 करोड) की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत वाटरशेड डवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0(WDC- PMKSY) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-10150.00 लाख के सापेक्ष- अवशेष धनराशि के समक्ष केन्द्रांश रू0 3.48 करोड एवं राज्यांश रू0-2.32 करोड कुल धनराशि रू0-5.80 करोड (रूपये पांच करोड अस्सी लाख मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा उक्त अवमुक्त धनराशि को एस. एन.ए. के खाते में स्थानान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि वित्त लेखाधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डकबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/ सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व सक्षम अधिकारी का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व सक्षम अधिकारी का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व सक्षम अधिकारी का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(8) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) आहरण एवं वितरण अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(10)स्वीकृत धनराशि का व्यंय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11)स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12)स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक खातों में रक्षित नहीं की जायेगी।

(13)प्रशा0 विभाग द्वारा वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्याः2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांकः 17 मार्च , 2023एवं यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 19 सितम्बर ,2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 3,48,00,000 (रुपये तीन करोड़ अड़तालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2402007890107 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2.0 के अन्तर्गत वाटर शेड डेवलपमेंट कम्पोनेंट (के.60/रा.40-के) **मानक मद** 27 सब्सिडी (*2*) रुपये 2,32,00,000 (रुपये दो करोड़ बत्तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2402007898907 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -2.0 के अन्तर्गत वाटर शेड डेवलपमेंट कम्पोनेंट **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-1456-X-2023-24, दिनांक- 16 मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
अनीता वर्मा सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक (WM), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जलसंसाधन विभाग के पत्र दिनांक-06-03-2024 के सन्दर्भ में।
4. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, एस०एल०एन०ए०।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-12
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अनीता वर्मा सिंह,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।